

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

1 Nay-450	मंजु / मांगीलाल / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 49 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 9179 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 88 पर कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20449 दिनांक 08.06. 09 द्वारा कंडिका 7.2 मान्य पालन में राशि 15821 भुगतान		पात्रता नहीं
2 Nay-418	राजेन्द्र / लालसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 43 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 1 सर्वेक्षण त्रुटि (नवीन जो सम्पूर्ण छूट गये)**

1	Nay-452 अमरसिंह / किशन / नयापुरा	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	आवेदक कृषि मुआवजा ग.प. क क्र. 2 पर मकान की मुआवजा राशि 55364 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 55364 भुगतान की जा चुकी है। पात्रता नहीं।
2	Nay-417 बाबू / किशन / नयापुरा	‘मेरे घर का भू-अर्जन करने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 01 पर मकान की मुआवजा राशि 75221 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	मकान की मुआवजा राशि 75221 भुगतान की गई है। पात्रता नहीं
3	Nay-440 सुमनबाई / उमराव / नयापुरा	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	आवेदिका पति को मुआवजा ग.प.क क्र. 11 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 220886 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदिका को के पति को मकान के साथ छान मंडप की मुआवजा राशि 220886 भुगतान गई है। पात्रता नहीं।
4	Nay-430 मथुरालाल / लालसिंह / नयापुरा	मेरे घर का अर्जन करने बाबत्।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल कृषि मुआवजा गणना पत्रक 27 पर मकान की मुआवजा राशि 87503/- निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 87503 भुगतान की गई है। पात्रता नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**5 राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले**

1 Nay-469	शोभाबाई / उमराव / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
2 Nay-509	हटिया / जामसिंह / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
3 Nay-510	करणसिंह / उदयसिंह / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
4 Nay-507	शोभाबाई / उमराव / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
5 Nay-493	उमराव / किशन / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :**

**5 राजस्व भूमि पर अतिक्रमण के मामले**

6 Nay-508 उमराव / किशन / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
7 Nay-511 माल्या / मालसिंह / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
8 Nay-504 शंकर / धन्ना / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।
9 Nay-487 करणसिंह / उदयसिंह / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

1 Nay-416 गोविंद / फुलचंद / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 14 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।
2 Nay-466 ममता / देवीसिंह / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 28032 आदेश दि. 24. 04.09 द्वारा अमान्य	—	भू अर्जन अधिकारी के आदेश दि. 12.01.09 के अनुसार धारा 4 के दि. को 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।
3 Nay-482 हरिओम / गयारसीलाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में नाम नहीं होने से अनुदान नहीं दिया गया।
4 Nay-480 चंदा / उमराव / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 20483 आदेश दि. 24. 11.08, 11.06.09 द्वारा अमान्य	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 8 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र	पंजी. क्र	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
-----	-----------	--	---------------	---	--	--	------------------

ग्राम का नाम : नयापुरा			आवेदन पत्र का प्रकार :	7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत			
5 Nay-479	राजेश / जवाहरसिंह / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20477 आदेश दि. 24. 11.08 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 65 पर उम्र-15 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।		
6 Nay-478	निर्मल / रायला / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 28052 आदेश दि. 24. 04.09 द्वारा अवयस्क होने से अमान्य	भू अर्जन अधिकारी के आदेश दि. 12.01.09 के अनुसार धारा 4 के दि. को 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता लौं		
7 Nay-477	ललिता / बापू / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 13969 आदेश दि. 02. 05.06 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 48 पर उम्र-16 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।		
8 Nay-476	शाताबाई / ग्यारसीलाल / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 61 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।		

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

9	Nay-475	नारायण / ग्यारसीलाल / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 63 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
10	Nay-474	हरेसिंह / नराण / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 28038 आदेश दि. 24. 04.09 द्वारा अमान्य	भू अर्जन अधिकारी के आदेश दि. 12.01.09 के अनुसार धारा 4 के दि. को 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।
11	Nay-473	कपिता / उमराव / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 17 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
12	Nay-472	मुन्नालाल / शांतिलाल / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 48 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

13	Nay-471	भावसिंग / रामसिंग / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 81 पर अ. मजदूर के रूप में राशि रु. 103858 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
14	Nay-470	महेश / सकाराम / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 104 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
15	Nay-467	गंगाराम / रीछा / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 70 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
16	Nay-465	कालू / बाबू / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 10 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 109037 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

		<b>ग्राम का नाम : नयापुरा</b>		<b>आवेदन पत्र का प्रकार :</b>		<b>7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत</b>	
17	Nay-464	सजन / कालू / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20480 आदेश दि. 24. 11.08 द्वारा अमान्य	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 64 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
18	Nay-483	राधा / ग्यारसीलाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 25 मे दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
19	Nay-468	कंचन / तेरसिंग / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 11 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	
20	Nay-496	राजेश / चैनसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 20 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
21	Nay-481	दिनेश / मथूरालाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 61 पर उम्र-14 वर्ष अवयस्क पुत्र के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

22	Nay-506	गोपाल / उदयसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 115 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
23	Nay-463	महेश / रीछा / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 69 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
24	Nay-503	गोपाल / ग्यारसीलाल / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 62 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
25	Nay-502	शांताबाई / ग्यारसीलाल / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 34 पर मकान की मुआवजा राशि 10333/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक को पुन. अनु. गणना पत्रक क्र. 61 पर कृषक के रूप में राशि 34350/- स्वीकृत कर भगतान की गई है।	—	ओवदक को मकान की मुआवजा राशि 10333 भुगतान की गई

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

26	Nay-501	रतीशंकर / ग्यारसीलाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 25 से दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।	
27	Nay-500	दिनेश / ग्यारसीलाल / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. गणना पत्रक क्र. 64 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	
28	Nay-499	चैनसिंह / रुखडू / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. गणना पत्रक क्र. 19 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	
29	Nay-505	झुनाबाई / हीरालाल / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. गणना पत्रक क्र. 53 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 103095 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

30	Nay-497	सीताराम / इंद्रसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 74 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
31	Nay-484	शरद / ग्यारसीलाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	—	आवेदिका का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के क्र. 25 में दर्ज नहीं होने से पात्रता नहीं।
32	Nay-495	गंगाराम / बट्टू / नयुपुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 93 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
33	Nay-494	नबूबाई / उदयसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 59 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 105874 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
34	Nay-492	गोविंद / उदयसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	117 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

35 Nay-491	ध्यानसिंह / उदयसिंह /	भूमिहीन परिवार के उदयसिंह / नयापुरा	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	गणना पत्रक क्र. 57 पर अ. मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
36 Nay-490	राधेश्याम / उदयसिंह /	भूमिहीन परिवार के उदयसिंह / नयापुरा	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	गणना पत्रक क्र. 60 पर अ. मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
37 Nay-489	गंगाराम / थावरिया /	भूमिहीन परिवार के थावरिया / नयापुरा	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	गणना पत्रक क्र. 101 पर अ. मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
38 Nay-488	सुखलीबाई / उदयसिंह /	भूमिहीन परिवार के उदयसिंह / नयापुरा	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	गणना पत्रक क्र. 56 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 105508 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

39	Nay-486	सायराबाई / गुलाबसिंग / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 36 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 9042 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 37 पर कृषि कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 9042 भुगतान की गई है।
40	Nay-485	गोपाल / ग्यारसीलाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 62 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	पात्रता नहीं
41	Nay-498	सूजरबाई / अनारसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 49 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 102439 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कठिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

42	Nay-449	श्यामलाल / बद्री / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 57 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 15844 एवं आवेदक के पिता को आ. मुआवजा ग.प. क्र. 54 पर मकान की मुआवजा राशि 104446 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 97 पर कृषि कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 15844 भुगतान की गई है। आवेदक का नाम ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची में में पिता के साथ वयस्क पुत्र के रूप में दर्ज है।
43	Nay-437	रानु / महेश / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 247 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।	—	पात्रता नहीं।
44	Nay-439	श्यामलाल / हठिया / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को शास. कृषि मुआवजा गणना पत्रक 37 पर मकान की मुआवजा राशि 15609/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक को पुन. अनु. गणना पत्रक क्र. 135 पर मजदूर के रूप में राशि 93000/- स्वीकृत कर भगतान की गई है।	—	मकान की मुआवजा राशि 15609/- भुगतान की गई है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार : 7 पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

45 Nay-442	उमराव / किशन / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 11 पर मकान की मुआवजा राशि 220886 एवं कृषि मुआवजा ग.प.क्र. 19 पर मकान की राशि 32608 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 16 पर कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेद को पूर्व में ही मकान की मुआवजा राशि 25000 से अधिक भुगतान की गई है। पात्रता नहीं।
46 Nay-443	नाराण / किशन / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 5 पर मकान की मुआवजा राशि 48387/- एवं कृषि अवार्ड में मुआवजा राशि 20194 निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक को पुन. अनु. गणना पत्रक क्र. 5 पर कृषक के रूप में राशि 43700/- स्वीकृत कर भगतान की गई है।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 25000 से अधिक भुगतान की गई है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

47	Nay-444	उमराव / किशन / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 11 पर मकान की मुआवजा राशि 220886 एवं कृषि मुआवजा ग.प.क्र. 32608 पर मकान की राशि निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 16 पर कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	पात्रता नहीं
48	Nay-445	समोताबाई / रामसिंह / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 13 पर मकान की मुआवजा राशि 14418 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 3 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 98582 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20457 आदेश दि. 10. 06.08 द्वारा मान्य कंडिका 7.2 की राशि 5000 भुगतान की गई	पात्रता नहीं
49	Nay-446	सुगरबाई / नानसिंह / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 36 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 8833 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 32 पर कृषि कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	ओवेदक को मकान की मुआवजा राशि 8833 भुगतान की गई।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

50	Nay-459	कैलाश / प्रतापसिंग / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को कृषि मुआवजा ग.प.क. क्र. 7 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 10322 व आवेदक के पिता को कृषि/शा.भूमि मुआवजा गणना पत्रक 03 पर मकान की मुआवजा राशि 53775 एवं आबादी मुआवजा ग.प.क. 4 पर मकान की मुआवजा राशि 14852 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 10322 भुगतान की गई है। परिवार सूची में पिता के साथ वयस्क पुत्र के रूप में दर्ज है।
51	Nay-448	छगन / किशन / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क. क्र. 6 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 8688 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ओवदक को मकान की मुआवजा राशि 8688 भुगतान की गई है।
52	Nay-434	गुलाबसिंग / सरवन / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 87 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कठिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

53 Nay-451	प्रकाशचंद / छीता / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. गणना पत्रक क्र. 66 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 28048 आदेश दि. 25. 04.09 द्वारा अमान्य	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
54 Nay-453	कालू / मांगीलाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	—	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 28048 आदेश दि. 25. 04.09 द्वारा अमान्य	भू अर्जन अधिकारी के आदेश दि. 12.01.09 के अनुसार धारा 4 के दि. को 18 वर्ष पूर्ण न होना शाला प्रवेश पंजी के जन्म दिनांक में प्रमाणित है। अतः इनके नाम से स्वीकृत पुनर्वास अनुदान निरस्त किया जाता है।	
55 Nay-454	दिनेश / रीछा / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. गणना पत्रक क्र. 68 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।	

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

56	Nay-455 गिशाम / रीछा / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 67 पर कृषक के रूप में राशि रु. 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
57	Nay-456 झुनाबाई / खुमान / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 28 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 9905 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 53 पर मजदूर के रूप में राशि 103095 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 13969 आदेश दि. 02. 05.06 द्वारा कंडिका 7. 2 मान्य के पालन में 5000 भुगतान	पात्रता नहीं
58	Nay-457 छीताबाई / रीछा / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 35 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 8358 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 65 पर कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	छीताबाई फौत हो चुकी है। मकान की मुआवजा राशि 8358 का भुगतान किया गया है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

59	Nay-458	प्रेमसिंह / उदयसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 116 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
60	Nay-447	शंकर / मांगीलाल / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा ग.प.क क्र. 36 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 3553 निर्धारित कर भुगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20452 आदेश दि. 08. 06.09 द्वारा कंडिका 7. 2 की राशि अमान्य	पात्रता नहीं
61	Nay-425	मगू / लालसिंग / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 47 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
62	Nay-462	बच्चु / नथू मॉ सुकमार्बाई / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 97 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

63	Nay-409	सदाशिव / फुलचंद / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 33 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
64	Nay-334	बालू / छगन / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आवेदक को मुआवजा ग.प.क क्र. 9 पर मकान मुआवजा राशि 6228 निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 12 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 106772 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को कंडिका 7.2 की राशि पु.अनु.गणना क्र. 12 पर रु. 13772 भुगतान की गई है।
65	419/1	जयसिंह / हठिया / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 137 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
66	Nay-420	शेरू / मालसिंग / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 44 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

67 Nay-421	देवीसिंह / हठिया / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 133 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
68 Nay-422	सरदार / हठिया / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 136 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
69 Nay-436	बच्चू / नथू / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 79 पर अ मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	पात्रता नहीं।
70 Nay-424	श्याम / हठिया / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 135 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
71 Nay-435	देवीसिंह / हीरालाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 55 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	पात्रता नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

72	Nay-426	आशाराम / लालसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 46 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
73	Nay-427	गीताबाई / हिरालाल / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदिका को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र.54 पर अन्य मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है	—	पात्रता नहीं
74	Nay-428	चंदु / उमराव / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत्।	आवेदक के पिता को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 19 पर मकान की मुआवजा राशि 32608/- निर्धारित कर भुगतान की गई है।	—	ग्राम की अंतिम प्रकाशित परिवार सूची के सरल क्र. 39 पर उम्र-17 वर्ष अवयस्क पुत्री के रूप में दर्ज होने से पात्रता नहीं।
75	Nay-429	उमराव / किशन / नयापुरा	पुनर्वास नीति की कंडिका 3.3 के अनुसार अतिक्रमण जमीन के बदले जमीन देने बाबत्।	—	—	कार्यपालन यंत्री न.वि.संभाग क्र.32 बड़वाह द्वारा अतिक्रमण भूमि के भू अर्जन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से अवार्ड नहीं किया गया।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

76	Nay-431	शंकर / बन्ना / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल कृषि मुआवजा गणना पत्रक 25 पर मकान की मुआवजा राशि 2992/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक पुन.अनु.ग.प.क्र. 119 पर राशि 43700/- कृषक के रूप में भुगतान की गई है।	-	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 2992 भुगतान की गई है।
77	Nay-432	सूरजबाई / अनारसिंह / नयापुरा	परिवार सूची में पुनर्वास नीति की धारा 1 (अ) (ब) के अंतर्गत शामिल करने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 49 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 102439 भुगतान की गई है।	-	पात्रता नहीं।
78	Nay-433	गुलाबसिंग / श्रवण / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 48 पर मकान की मुआवजा राशि 10340/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 87 पर कृषि मजदूर के रूप में राशि 93000 एवं कंडिका 7.2 की राशि 9660 रु भी भुगतान की गई है।	जी.आर.ए. प्रकरण क्र. 20454 आदेश दि. 10. 06.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि 5000 मान्य होन पर भुगतान की गई	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 25000 से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। पात्रता नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**द्वूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता / पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पूनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

79	Nay-441	द्वारिकाबाई / रतन / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा गणना पत्रक 1 पर मकान की मुआवजा राशि 13641/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। आवेदक को पुन. अनु. गणना पत्रक क्र. 1 पर अन्य मजदूर के रूप में राशि 99350/- स्वीकृत कर भगतान की गई है।	-	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 13641 एवं कंडिका 7.2 के अंतर की राशि 6359 भुगतान की गई है।
80	Nay-423	गिरधर / हठिया / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 132 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
81	Nay-460	सज्जन / आपसिंह / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को आबादी मुआवजा ग.प.क्र क्र. 32 पर मकान/भूखंड की मुआवजा राशि 9314 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 58 पर कृषि कृषक के रूप में राशि 43700 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20546 आदेश दि. 08. 06.09 द्वारा कंडिका 7. 2 का आवेदन मान्य के पालन में राशि 15686 भुगतान	पात्रता नहीं

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

82 Nay-461	सुकमाबाई / नाथू / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान रूप जीविका हेतु 2. गणना पत्रक क्र. 78 पर अन्य 5 लाख रुपयें का मजदूर के रूप में राशि रु. 105793 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कांडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
83 Nay-415	फुलचंद / लुना / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत्।	आबादी मुआवजा ग.प.क्र. 18 पर आबादी भूखंड/मकान की मुआवजा राशि 8643 निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुन. अनुदान ग.प.क्र. 32 पर कृषक के रूप में राशि 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई।	—	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 8643 भुगतान की गई है।
84 Nay-414	सुभाष / फुलचंद / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 36 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कांडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं। पात्रता नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**दूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र०	पंजी. क्र०	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

85	Nay-438	सूरज / अनार / नयापुरा	घर का मुआवजा 25000 से कम बनने पर पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि देने बाबत।	आवेदक को बीडब्ल्यूएल कृषि मुआवजा गणना पत्रक 27 पर मकान की मुआवजा राशि 10561/- निर्धारित कर भुगतान की गई है। पुनर्वास नीति की धारा 7.2 के अनुसार शेष राशि 93000 एवं कंडिका 7.2 की राशि 9439 भगतान की गई है।	जी.आर.ए प्रकरण क्र. 20450 आदेश दि. 10. 06.08 द्वारा कंडिका 7.2 की राशि 5000 मान्य कर भगतान की गई।	आवेदक को मकान की मुआवजा राशि 25000 से अधिक भुगतान की है। पात्रता नहीं।
86	Nay-413	गोविंद / उदयसिंह / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 117 पर मजदूर के रूप में राशि रु. 93000 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक को भूमिहीन परिवार के रूप में पुनर्वास नीति की समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
87	Nay-412	किशोर / फूलचंद / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 35 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।
88	Nay-411	फुलचंद / लुना / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपयें का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 32 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	—	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है। पात्रता नहीं।

**ओंकारेश्वर सागर परियोजना तहसील पुनासा जिला खण्डवा**  
**झूब प्रभावित व्यक्तियों द्वारा**  
**उच्च स्तरीय जाँच समिति का समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्रों की जानकारी**

क्र0	पंजी. क्र0	आवेदक नाम एवं पिता/पति का नाम एवं आवेदक का पता	आवेदक की मांग	पूर्व में प्रदाय अनुदान सहायता आदि का विवरण	पुनर्वास नीति अनुसार प्रकरण में कानूनी अभिमत् (जी.आर.ए. का निर्णय)	वर्तमान में प्रस्तुत मांग अनुसार स्वीकार योग्य सहायता का विवरण अथवा आवेदन निरस्ती योग्य संबंधी टीप	समिति की अनुसंशा
------	------------	--	---------------	---	--	--	------------------

**ग्राम का नाम : नयापुरा**

**आवेदन पत्र का प्रकार :** 7 **पुनर्वास संबंधी की गई मांग एवं शिकायत**

89 Nay-410	गौरीशंकर / फूलचंद / नयापुरा	भूमिहीन परिवार के रूप जीविका हेतु 2. 5 लाख रुपये का विशेष अनुदान दिए जाने बाबत्।	आवेदक को पुनर्वास अनुदान गणना पत्रक क्र. 34 पर कृषक के रूप में राशि रु. 34350 स्वीकृत कर भुगतान की गई है।	-	आवेदक के नाम कृषि भूमि होने से कृषक के रूप में पुनर्वास नीति के तहत समस्त कंडिकाओं का लाभ दिया जा चुका है।
------------	--------------------------------	--	---	---	--